90

संख्या– /XVII-4/2016-43(वि.क.)/2015

प्रेषक,

डा. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–04.

देहरादूनः दिनांक 01 नवम्बर अक्टूबर, 2016.

विषयः उत्तराखण्ड के गरीब एवं असहाय निःशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए फड़/खोखा दिए जाने की योजना।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत गरीब एवं असहाय निःशक्तजन को स्वरोजगार प्रदान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाना एक सामाजिक आवश्यकता है, ताकि वे स्वयं का रोजगार स्थापित करते हुए आर्थिक रूप से सबल हो सके। चूंकि प्रत्येक निःशक्त व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त होता है और उसे ऐसे रोजगार की आवश्यकता होती है, जिसे वह एक स्थान पर बैठे–बैठे कर सके और अपनी आर्थिक जरूरतों को स्वयं पूर्ण कर सके।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड के गरीब एवं असहाय निःशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए फड़/खोखा दिए जाने की योजना संचालित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन, भूमि के चयन/भूमि के आवंटन हेतु प्रत्येक जनपद में निम्नवत् समिति गठित की जाएगी–

(1)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(3)	संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी	सदस्य
(4)	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

3. योजनान्तर्गत पात्रता निम्नवत् होगी–

(1) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–2(झ) व धारा–2(न) के अधीन प्रमाणित निःशक्त व्यक्ति को योजनान्तर्गत लाभान्वित माना जाएगा।

(2) आवेदक की आयु 21 से कम न हो।

(3) आवेदक किसी प्रकार की शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में न हो।

(4) आवेदक की मासिक आय रूपये 4,000 से अधिक न हो।

(5) आवेदक अथवा आवेदक की पारिवारिक (पति या पत्नी) या (आश्रित पुत्र/पुत्री) व्यावसायिक सम्पत्ति न हो।

(6) आवेदक अथवा आवेदक का पारिवारिक (पति या पत्नी) या (आश्रित पुत्र/पुत्री) स्थापित व्यवसाय न हो।

(7) आवेदक से किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय योजनान्तर्गत ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो।

4. समिति विकलांगों की सूची तैयार करेगी जो कि उपरोक्त पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हुए पात्रता की सूची में से समिति द्वारा कुल 10 व्यक्तियों का चयन कर फड़/खोखा आवंटित करेगी। फड़/खोखे हेतु भूमि का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं भूमि पर फड़/खोखे का निर्माण भी जिलाधिकारी/समिति द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक फड़/खोखे का आकार 6x5 वर्ग फुट का होगा, जिसकी औसतन लागत रूपये 20,000/– होगी। यदि फड़/खोखे की लागत अधिक आती है तो जिलाधिकारी/समिति द्वारा अन्य स्रोतों से धनराशि का प्रबन्धन किया जाएगा, जैसे एस.सी.आर., मनरेगा, सांसद/विधायक निधि अथवा जिला योजना आदि।

5. चयनित लाभार्थी को फड़/खोखा आवंटित किये जाते समय एक अनुबन्ध पत्र (MOU) सम्पादित किया जायेगा, जिसमें अन्य आवश्यक विधिक शर्तों के साथ–साथ यह भी उल्लेख किया जायेगा कि चयनित लाभार्थी को उक्त भूमि पर व्यवसाय संचालन का अधिकार तब तक प्राप्त रहेगा, जब तक वह स्वयं व्यवसाय संचालित कर सकेगा। स्वयं व्यवसाय संचालित न करने, मृत होने अथवा अन्य रोजगार में रत होने की स्थिति में फड़/खोखा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

6. योजनान्तर्गत आवेदन–पत्र/अनुबन्ध–पत्र का निर्धारण एवं व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा। यदि योजना के संचालन/ क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो इस सम्बन्ध में शासन का मार्गदर्शन/ निर्देश प्राप्त किए जाने आवश्यक होंगे।

7. योजनान्तर्गत लाभार्थी अपने फड़/खोखे हेतु किसी जनप्रतिनिधि (विधायक/सांसद आदि) से भी आवश्यकतानुसार अनुदान प्राप्त कर सकता है।

8. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–951/XXVII(1)/2016-17, दिनांक 19.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–1254 (1)/XVII-4/2016-43(वि.क.)/2015, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

6. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव।